REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2021

" महिलाओं के साथ किये जा रहे हिंसा का आलोचनात्मक अध्ययन "

डॉ. अरुन कुमार गौतम[1], सुषमा शुक्ला[2]
[1]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैहर, जिला – सतना (म०प्र०).
[2]शोधार्थी (वाणिज्य),अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०) भारत.

भूमिका :–

हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, से पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है । यहां तक कि उनके जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं । इन सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के परे में अधिक पता नहीं चलता है क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं । अनेक डॉक्टर्स, नर्सें व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं।

यह अध्यायन महिलाओं पर घरों में होने वाली हिंसा से संबंधित है यह आपको यह समझने में सहायक होगा कि हिंसा क्यों होती है, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं तथा अपने समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार कार्यरत हो सकते हैं।

कोई पुरुष महिला को चोट क्यों पहुंचता है ?

महिला को चोट पहुंचाने के लिए के पुरुष अनके बहाने दे सकता है जैसे कि–वह शराब के नशे में था य वह अपना आपा खो बैठा या फिर वह महिला इसी लायक है ।परंतु वास्तविकता यह है कि वह हिंसा का रास्ता केवल इसलिए अपनाता है क्योंकि वह केवल इसी के माध्यम से वह सब प्राप्त कर सकता है जिन्हें वह एक मर्द होने के कारण अपना हक समझता है।

जब एक पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी की जिन्दगी पर काबू नहीं रहता है तो वह हिंसा का प्रयोग करके दूसरों की जिन्दगी पर नियंत्रण करने का कोशिश करता है । अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीकों का प्रयोग करके अपने जीवन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है परंतु यदि वह दूसरों के जीवन पर अपना नियंत्रण हिंसा का प्रयोग कर के करना चाहे या कोशिश करे तो वह सही नहीं है।

महिलाओं के साथ हिंसा के कारण :–

यहां कुछ ऐसे कारणों की चर्चा की गई है जो यह वर्णित करते हैं कि कुछ पुरुष महिलाओं को चोट क्यों पहुंचाते हैं –

- हिंसा काम करती है।
- किसी कमजोर व्यक्ति के साथ हिंसा में लिप्त होकर एक पुरुष अपनी कुंठाओं से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है।

- वास्तविक परेशानी को पहचाने या कोई उसका कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढने के बजाय, पुरुष हिंसा का सहारा लेकर असहमति को जल्दी से समाप्त करना चाहत है।
- किसी पुरुष को लड़ना बेहद रोमांचक लगता है और उससे उसे नई स्फूर्ति मिलती है । वह इस रोमांच को बार बार पाना चाहता है।
- अगर कोई पुरुष हिंसा का प्रयोग करता है कि वह जीत गया है और अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है हिंसा की शिकार, चोट व अपमान से बचने के लिए, अगली स्थीति में, उसका विरोध करने से बचती है । ऐसे में पुरुष को और भी शह मिलती है।
- पुरुष को मर्द होने के बारे में गलत धारणा है।
- अगर पुरुष यह मानता है कि मर्द होने का अर्थ है महिला के उपर पूरा नियंत्रण होना तो हो सकता है कि वह महिला के साथ हिंसा करने को भी उचित माने।
- कुछ पुरुष यह समझते हैं कि मर्द होने के कारण उन्हें कुछ चीजों का हक है जैसे कि अच्छी पत्नी, बेटों की प्रापति, परिवार के सारे फैसले करने का हक।
- पुरुष को लगता है कि महिला उसकी है या उसे वह चाहिए।
- यदि महिला सशक्त है तो पुरुष को यह लग सकता है कि वह उसे खो देगा या महिला को उसकी जरुरत नहीं है। वह कुछ ऐसे कार्य करगे जिससे महिला उस पर अधिक निर्भर हो जाए।
- उसे अन्य किसी और तरीके के व्यवहार करना आता ही नहीं है (सामाजिक अनुकूलन)
- अगर पुरुष ने अपने पिता या अन्य लोगों के तनाव व परेशानी की स्थीति में हिंसा का सहारा लेते हुए देखा है तो केवल ऐसा व्यवहार करना ही सही लगता है । उसे कोई अन्य व्यवहार करना ही सही लगता है। उसे कोई अन्य व्यवहार का पता ही नहीं है।

हिंसा के चक्र :–

हिंसा की पहली घटना प्रायरु अपने आपमें एक बारगी होने वाली घटना लग सकती है । लेकिन अनेक मामलों में, पहली घटना के बाद निम्न ढ्रा या चक्र विकसित होता है जैसे जैसे हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होती है, वैसे–वैसे अधिकतर दम्पतियों में शांति काल की अवधि कम होती है चूँकि तब तक महिला की इच्छा शक्ति टूट चुकी होती है और पुरुष का वर्चस्व उस पर पूर्ण रूप से होता हो जाता है। ऐसी स्थीति में पुरुष के लिए यह भी आवश्यक नहीं रह जाता है कि वह सथिति में सुधार लाने के की वायदे भी करे।

हिंसा के हानिकारक प्रभाव :–

हिंसा केवल महिलाओं को ही चोट नहीं पहुंचती है, यह उनके बच्चों व पुरे समाज को प्रभावित करती है महिलाओं में, पुरुष की हिंसा के ये परिणाम हो सकते हैं :–

1. प्रेरित होने की भावना तथा आत्मसम्मान में कमी।
2. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि चिंता, घबराहट, अवसाद, भोजन व नींद संबंधीत समस्याएं। हिंसा का सामना करने के लिए कोई महिला अपनी सम्पूर्ण पहचान को बदलने का पयत्न करने लगती हैं । हिंसा से बचने के लिए वह अपने पहले व्यक्तित्व की छाया मात्र रह जाती है तथा अपने उपर लगाए गए झूठे आरोपों को विरोध भी नहीं करती है ।वह अपने छोटी छोटी खुशियों से भी स्वयं को वंचित रखने लगती है, घर दृपरिवार वालों व मित्रों से संबंध तोड़ने लगती है तथा एकाकीपन व अपराध बोध में शरण लेने लगती है । उसे नशीली दवाईयों और शराब की आदत पड़ सकती है या वह अनेक पुरुषों से यौन संबंध बना बैठती है।
3. वह गंभीर चोटों व दर्द, हड्डियों के टूटने जलने, कट शरीर पर नीले दागों, सिर दर्द, पेट दर्द व मांसपेशियों में दर्द आदि से पीड़ित हो सकती है जो प्रताड़ना के बाद लंबे समय तक रह सकते हैं।
4. यौन स्वास्थ्य की समस्याएं। गर्भावस्था के दौरान पिटाई से गर्भपात भी हो सकता है। यौन उत्पीडन के कारण वे अवांछित गर्भ, यौन संचारित रोग या एच.आई.वी.ध्एड्स का भी शिकार हो सकती हैं। यौन उत्पीडन के कारण प्रायः यौन संबंधों में अनिच्छा, दर्द व भय उत्पन्न हो सकता है।

5. मृत्यु बच्चों में अपनी मां को हिंसा का शिकार हाते हुए देखकर बच्चों में ये सब हो सकता है :–

1. लड़के अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं इस का असर ऐसे बच्चों का अन्य कमजोर बच्चों व जानवरों से हिंसा करते हुए देखा जा सकता है।
2. लड़कियां नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे अकसर ही दब्बू, चुप–चुप रहने वाली या परिस्थीतियों से दूर भागने वाली बन जाती है।
3. भयंकर सपने व अन्य भय उत्पन्न हो जाते हैं ।जिन परिवारों में नारी–उत्पीडन व हिंसा होती है, वहां बच्चे प्रायरू ठीक से भोजन नहीं खाते हैं, उनकी वृद्धि व विकास में शिथिलता आ सकती है तथा उनकी सीखने–समझने की शक्ति भी धीमी हो जाती है। ऐसे बच्चों में पेट दर्द, सिर दर्द, दमा जैसी बिमारियां तथा सोते समय बिस्तर में पेशाब करने जैसी समस्याएं हो जाती है।
4. अगर उनके साथ हिंसा होती है तो वे चोटग्रस्त हो सकते हैं और मौत भी हो सकती है।
5. प्रायः ही पुरुष अपनी पत्नी को परोक्ष रूप से त्रास पहुंचाने के लिए बच्चों को मरता–पिटता है ताकि वह और भी असहाय महसूस कर सके।

हिंसा के कारण समाज समाज पर प्रभाव :–

1. अगली पीढ़ी में हिंसा चक्र की निरंतरता बनी रहती है।
2. यह धारणा बनी रहती है की पुरुष महिलाओं से बेहतर होते हैं।
3. प्रत्येक व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा का शिकार हुई महिलाएं समाज की जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती है।
3. शिक्षा व दक्षता की कमी इन की कमी के करण वह कोई रोजगार पाने में असमर्थ हो सकती है जिससे वह अपना व बच्चों को पाल पोस सके।
4. सुरक्षा का अभाव रू महिला के पास पुरुष की हिंसा और चोटों व मौत से बचने की कोई सुरक्षा न हो।
5. शर्म हो सकता है कि उसे यह लगे कि हिंसा उसकी स्वयं की वजह से हो रही है और वह इसी लायक है।
6. धामिक व सांस्कृतिक प्रभाव अनेक महिलाओं का ऐसा विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो, शादी को बचाना उसका कर्त्तव्य है।
7. व्यवहार परिवर्तन की आशा महिला को ऐसा लग सकता है कि वह उस पुरुष से प्यार करती है और उस रिश्ते को जारी रखना चाहती है । उसे आशा रहती है की किसी न किसी तरह से हिंसा रुक जाएगी बच्चों को बिना बाप के कर देने का अपराधबोध।

यह पुरे समाज का यह उतरदायित्व है की समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ व कुशलतापूर्वक रहे। अगर पुरुष या परिवार का कोई अन्य सदस्य महिला के स्वस्तंत्र रूप से रहने के अधिकार का हनन करके या उसे चोट पहुंचा अथवा मारकर कोई अपराध कर रहा है तो इसके इन कुकर्मों को चुनौती देना व रोकना आवश्यक है। इस स्थीति में क्या करना चाहिए

एक सुरक्षा योजना बनाइयें :–

एक महिला का अपने जीवन साथी की हिंसा के उपर नियंत्रण नहीं होता है परंतु यह तो उसके हाथ में हैं कि वह इस हिंसा का किस प्रकार उत्तर देती है और उससे निपटती हैं । वह पहले से ही कोई ऐसी योजना बना सकती हैं ताकि पुरुष के हिंसा समाप्त करने के पल तक स्वयं को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके।

अगली बार हिंसा शुरू होने से पहले की सुरक्षा :–

1. अपने आस पड़ौस में किसी को हिंसा के बारे में बतायें ।उसे कहें कि आगे फिर आप मुसीबत में हों तो वह स्वयं आये या आपके लिए कोई सहायता पहुंचाये ।संभवतरू कोई पडोसी, पुरुष रिश्तेदार या पुरुषों अथवा महिलाओं का कोई समूह आपकी सहायता के लिए आ सकता है।
2. कोई ऐसा विशेष शब्द या संकेत निर्धारित करें जिसे सुनकर आपके बच्चे या घर का कोई अन्य स्वस्थ्य आपके लिए सहायता प्राप्त कर सके।

3. आपने बच्चे को सुरक्षित स्थान तक पहुंचना सिखाईए।

हिंसा के दौरान सुरक्षा :–

1. अगर आपको लग रहा है कि वह (पुरुष) हिंसक होने ही वाला है तो यह सुनिश्चित करें कि हिंसात्मक कार्यवाई ऐसे स्थान पर हो जहां कोई हथियार अथवा वस्तु न हो जिनसे वह आपको नुक्सान पहुंचा सके या जहां से आप जल्दी से भाग सकें।
2. अपनी निर्णय लेने की योग्यता का सर्वोतम प्रोयग करें। जो आवश्यक हो वह करें जिससे आप उसे शांत कर सकें तथा आप व आपके बच्चे सुरक्षित रहें।
3. यदि आपको उस स्थान से दूर भागने की आवश्यकता हो तो इसके बारे में सोचिए। सोचिए कि आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन से होगी।
4. महिला के घर छोडकर जाने की स्थीति में सुरक्षा
5. पैसा तो हर स्थीति में बचाईए। इस पैसे को घर से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर या बैंक में अपने नाम के खाते में रखें ताकि आप अधिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
6. अगर आप ऐसा सुरक्षित रूप से कर सकती हैं तो पुरुष पर निर्भरता कम करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचिए ।उदहारण के लिए मित्र बनाईए, किसी संगठन या समूह के सदस्य बनिए या अपने पिरवार के साथ अधिक समय बताईए।
7. ऐसे "आश्रम घरों" या सेवाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके रखें जो उत्पीडित महिलाओं और उसके बच्चों के लिए उपलब्ध है ।घर छोड़ने से पहले नजदीक के किसी गृह के बारे में जानकारी आवश्य ले लीजिए।
8. किसी विश्वसनीय मित्र या संबंधी से पूछिए कि क्या वे आपके अपने पास रहने देंगे या आपको पैसा उधार दे सकेंगे ? ये लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके जीवन साथी को इस बारे में न बतायें।
9. महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा प्रमाणपत्रों की कापियां अपने लिए एकत्रित करें जैसे कि– आपका पहचान पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र (जिसमें पिता का नाम हो), टीकाकरण कार्ड, आपकी शादी का प्रमाणपत्र या कार्ड (जिसके आपके पति के पहचान निर्धारित की जा सके) ।अगर आपको रख–रखाव भत्ते का दावा करना पड़ा तो इन सब की आवश्यकता होगी ।इन सब की एक क०पी घर पर रखें तथा दूसरी क०पी किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास घर से दूर रखें।
10. पैसा, दस्तावेजों की कॉपियां तथा अतिरिक्त कपड़े किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास रखें ताकि आप जल्दी से जा सकें।
11. अगर आप ऐसा बिना किसी झंझट के कर सकें तो अपने बच्चों के साथ आपनी भागने की योजना का एक बार पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करके यह देखें कि क्या यह कार्य करती है अथवा नहीं ध्यान रखें कि किसी बच्चे को इस बारे में नहीं बताएं।

सामाजिक दबाव का प्रयोग :–

ऐसे कौन से दबाव हैं जो आपके क्षेत्र में लोगों को गलत समझे जाने वाले कार्यों को करने से रोकते हैं ? कहीं पर पुलिस का डर होता है तो कहीं पर सेना, समझ के बुजुर्ग, परिवार या धर्म अधिक्तर स्थानों पर ये संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।

सामुदायिक नेताओं तथा नया पुरुषों को महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों तथा हिंसा के विरोध में बोलने तथा महिलाओं को पीटने वाले लोगों की निंदा करने के लिए प्रोत्साहित करें। महिलाओं का उत्पीडन रोकने के लिए उस जगह पर काम करने वाले दवाबों का प्रयोग करें।

कुछ देशों में महिलाओं ने संगठित होकर ऐसे कानून लागु करवा दिए हैं जिनके द्वारा महिलाओं को उत्पीडित करने वाले पुरुषों को दंडित किया जा सकता है ।फिर भी, कानून हमेशा ही उत्पीडित महिलाओं की सहायता नहीं करता है ।कहीं–कहीं कानूनों को इमानदारी से लागू करने वालों पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता है ।किंतु अगर आपके क्षेत्र में कानून तंत्र और पुलिस दोनों ही महिलाओं की सुरक्षा करने का लिए तत्पर हैं तो संबंधीत कानूनों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें ।

आपके समुदाय या आस पड़ौस में उत्पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए क्या संभवना उपलब्ध हैं ?

- कानूनी सहायता
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
- आश्रय गृह
- महिलाओं के लिए पैसा अजित करने की परियोजनाएं
- परामर्श सेवाएं

वयस्कों को पढ़ाना–लिखना सिखाने वाली आया अन्य शिक्षण सेवाएं :–

पुरुष की सहायता करें। इसके अतिरिक्त परिवार के अन्य हिंसक सदस्य की भी सहायता करें । उन्हें भी सहायता की आवश्यकता है ।सामुदायिक अथवा धामिक नेताओं में ऐसे लोगों की सहायता करने तथा समुदाय में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के बारे में बात–चीत करें।

यौन उत्पीड़न

- बलात्कार करना या करने की कोशिशि करना और यौन हमला।
- यौन संबंध के लिए अनचाहा दबाब (जबरदस्ती करना)।
- जान–बुझ कर सटना, ऊपर झुकना, और चिकोटी काटना ।
- गंदी निगाओं से देखना और इशारे करना।
- अनचाहे पत्र भेजना, फोन करना और यौन प्रकृति के अन्य साधन।
- जबरदस्ती घुमने के लिए ले जाना।
- बेवजह गंदे चुटकले सुनाना, प्रश्न पूछना, बताना और परेशान करना।
- युवा लड़कियों को गुड़िया, बेबी, हनी कहकर बुलाना।
- सीटियाँ बजाना ।
- गंदी टिप्पणियाँ देना।
- कार्यसंबंधी चर्चा को यौन विषयों में बदलना।
- यौन कल्पनाओं, पसंद व बीते हुए कल के बारे में पूछना।
- किसी को सामाजिक और यौन जीवन के बारे में प्रश्न पूछना।
- किसी व्यक्ति के कपड़ों, शरीर व नैन–नक्शा के बारे में गंदी टिप्पणियाँ देना।
- इसके हानिकारक परिणामों में परिवार और दोस्तों से दूर जाना, उम्र के बच्चों के साथ बातचीत की स्वतंत्रता का अभाव होना, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग न ले पाना, और शिक्षा के लिए अवसरों की कमी शामिल है।
- भारत में विवाह के लिए लड़की की कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष है।
- भारत में इससे छोटी उम्र के लोगों का विवाह करना कानूनी अपराध है और यदि कोई व्यक्ति इस अधीनियम के विरुद्ध दोषी पाया जाता है तो वह दंड का पात्र है।

भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात

- भ्रूण हत्या लड़कियों के विरुद्ध हिंसा का रक रूप है।
- भ्रूण हत्या लड़कियों के जन्म को नकारती है।
- अल्ट्रासाउंडध्स्केनिंग के द्वारा को बढ़ावा देता है।
- लिंग जाँच गर्भपात (इसे बेटे को वरीयता देना और बेटी को अस्वीकार करना भी कहा जाता) लिंग के चयन की विधी है जो उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ लडकों लड़कियों की तुलना में अधीक महत्व दिया जाता है।

निष्कर्ष–

घरेलू हिंसा को घरेलू दुर्व्यवहार, बाल दुर्व्यवहार और अन्तरंग साथी हिंसा भी कहा जाता है। मोटे तौर पर इसे एक अन्तरंग संबंध जैसे शादी, डेटिंग, परिवार, दोस्तों या सहवास में दोनों भागीदारोंद्वारा अपमानजनक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

घरेलू हिंसा के कई प्रकार है जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार (मारना, लात मारना, काटना, वस्तुएं फेंकना), यौन शोषण, भावनात्मक दुर्व्यवहार, जबरदस्ती, धमकियां देना, तिरस्कार करना, गुप्त दुर्व्यवहार और आर्थीक अभाव। घरेलू हिंसा एक दंडनीय अपराध है।

- विभिन्नि प्रयोजनों के लिए बच्चों और औरतों की तस्करी सहित यौन शोषण भी मानवता के खिलाफ अपराधों में से एक है।
- युवा लड़कियों और लड़कों को बंधक बनाकर काम पर रखना, बेचना और उन्हें शोषण की स्थीति में डालना अनैतिक व्यापार में आता है।
- इन्हें वेश्यावृति और गुलामी के लिए मजबूर किया जाता है जैसे" बंधुआ मजदूरी और मालिकों द्वारा नौकर के साथ क्रूर व्यवहार।

सन्दर्भ गन्थ सूची :–

1. रंजना कुमारी, डायरेक्टर, सेंटर फार सोशल रिसर्च (05 फरवरी 13
2. हिन्दुस्तान समाचार पत्र. मूल से 26 अप्रैल 2015
3. बीबीसी हिन्दी. 21 जून 2013
4. Women's Empowerment" 12 ebZ 2012
5. " Empowerment of Rural Indian Women" Kelpeja Publication Delhi, 2010,
6. www.google.com/wikipedia.com